सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री पी.पाण्डेय, अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा.सं.) छ.ग.स्टे.पा.हो.कं.लिमि.रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 02/2021 दिनांक 05.02.2021

O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ...6033...
Date ...08 MAR 2021...
AGM (IT)
SE (O)/SE ...Web...
EE ....
Section..............

श्री दुर्गा चरण पटेल
रायपुर — अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर — प्रतिअपीलार्थी

—:: आदेश ::—
(दिनांक .....08/03/2021..... को पारित)

अपीलार्थी श्री दुर्गा चरण पटेल, रायपुर ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, होल्डिंग कंपनी के निर्णय दिनांक 06.01.2021 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 41 दिनांक 06.01.2021 के माध्यम से जो जानकारी अपीलार्थी को दी है उसके संबंध में अपीलार्थी का तर्क निम्नानुसार है :–

चूंकि अपीलार्थी स्वयं ही उक्त प्रतिभागी परीक्षा एवं साक्षात्कार का अभ्यर्थी है अतः वांछित जानकारी में अभ्यर्थी का लोकहित सम्मिलित है। जनसूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि बिन्दुवार वांछित जानकारी व्यक्तिगत सूचना के अंतर्गत आता है यह लेख अनुचित है, क्योकि किसी भी प्रतिभागी परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यार्थियों के दस्तावेज सार्वजनिक होते है न की निजी।

(3) अपील प्रकरण (पंजी.क्रं. 02/2021 दिनांक 05.02.2021) की सुनवाई दिनांक 03.03.2021 को निर्धारित की गई।

(4) जनसूचना अधिकारी का तर्क कि आवेदक द्वारा 05 बिन्दुओं के माध्यम से विभागीय परीक्षा सहायक प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी (प्रशिक्षु) के संबंध में निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :–

(I) अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय जाति प्रमाण पत्र/अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र नही होने की स्थिति में दिनांक 04.04.2019 के बाद जमा किये गए प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जिसमें आपके कार्यालय का आवक क्रमांक/दिनांक अंकित हो।

(II) साक्षात्कार के समय ओबीसी (नान क्रिमिलेयर)/केन्द्रीय जाति प्रमाण पत्र नही होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा लिया गया शपथ पत्र की छायाप्रति।

(III) साक्षात्कार के समय दस्तावेजों की जॉच टीम द्वारा प्रयोग की गई दस्तावेज जॉच शीट की प्रमाणित छायाप्रति।

(IV) साक्षात्कार के समय (साक्षात्कार कमेटी द्वारा) दिय गए अंकों का विवरण शीट की प्रमाणित छायाप्रति।

(V) विभागीय परीक्षा वर्ष 2018–2019 के अंतर्गत रिक्त पदो के भर्ती हेतु विभागीय नोट–शीट की सम्पूर्ण प्रमाणित छायाप्रति।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में आवेदक को पत्र क्रमांक 41 दिनांक 06.01.2021 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की

8 (1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतः दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

(5) निर्धारित तिथि को अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। अतः संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर, दोनों उभय पक्ष के तर्क श्रवण करते हुए, प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(अ) अपीलार्थी का तर्क कि उन्हे वांछित जानकारी व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है का लेख करते हुए उपलब्ध नही करायी गई है। अतः उन्हे वांछित बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

(ब) जनसूचना अधिकारी का तर्क कि आवेदक द्वारा वांछित बिन्दुवार जानकारी व्यक्ति विशेष से संबंधित सूचना है, जो कि किसी भी दृष्टि से लोकहित में समाहित नही है। अतः धारा 8 (1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है।

यह कि भर्ती से संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का प्रकटन उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नहीं है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है। भर्ती से संबंधित सभी जानकारी उम्मीदवार को प्रदान नहीं की जा सकती है, जो वैश्वासिक संबंध से संबंधित है, जो परीक्षक एवं परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकारी के बीच विद्यमान होता है। धारा 8 (1)–(ञ) में निहित तथ्यों के अंतर्गत कंड़िका 04/–टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी के प्रकटन से किसी व्यक्ति विशेष की एकान्तता एवं निजिता का हनन होने की संभावना है।

अग्रतर लेख है कि HON`ble Supreme Court of India in Civil Appeal No- 10044 of 2010 & Ors. Date 13-11-2019 titled as CPIO, Supreme Court of India V. Subhash Chandra Agarwal, के प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, professional records, including qualification performance, are all treated as personal information Similarly,

माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के W.P.(C) 7976/2020 Shri Har Kishan Vs. President Secretariatt Through Its Secretary & Anr. दिनांक 12 जनवरी 2021 में पारित आदेश के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों के नाम व पता तत्संबंधी जानकारी को व्यक्तिगत सूचना मानते हुए, जानकारी के प्रकटन से निषेध किया गया है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 4/–टीप में जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही नियम संगत है। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, जो कि धारा 8 (1)–(ञ) की उन्मुक्तियों के भीतर आती है, वस्तुतः जानकारी व्यापक लोकहित में समाहित नही है। शासकीय कार्यवाहियों के इस तरह के अभिलेखों का प्रकटन तर्कसंगत नही है जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है।

धारा 8 (1)–(ञ) के अंतर्गत परव्यक्ति से संबंधित सूचना देने के लिए कोई भी लोक प्राधिकारी बाध्य नही है यद्यपि कि यह जानकारी उसी व्यक्ति के द्वारा मांगी गई है जिसके संबंध में है।

प्रकरण में चर्चा किया जाना उचित होगा यह है कि क्या चाही गई बिन्दुओं की जानकारी का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित होगा ? तत्संबंध में धारा 8 (1) (ञ) में निहित तथ्यों तथा

...ीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अवलोकनार्थ उक्त बिन्दुओं की जानकारी का प्रकटन लोकहित में उचित नहीं है।

जैसा कि विभागीय परीक्षा सहायक प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी (प्रशिक्षु) पदों के संबंध में अपीलार्थी स्वयं ही प्रतिभागी उम्मीदवार था। अतः विषयवस्तु को देखते हुए अपीलार्थी को स्वयं से संबंधित बिन्दुवार जानकारी (जिसमें अपीलार्थी की ही जानकारी शामिल हो) उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत होगा।

अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित प्रभाग के (DPIO) प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, से कंड़िका **(4)/–टीप** की बिन्दुवार जानकारी (केवल अपीलार्थी से संबंधित दस्तावेज) एकत्र कर, अपील आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराये।

उपरोक्त के दृष्टिगत दर्ज प्रथम अपील प्रकरण एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(पी.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह अति.महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

कमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –02/2021/09 **रायपुर, दिनांक** 08/03/2021

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा0सं0)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) श्री दुर्गा चरण पटेल, कार्यालय सहायक श्रेणी–तीन कार्या.–मुख्य अभियंता (भंडार एव कय) 4th फलोर, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002